विद्युत कर्घा क्षेत्र के विकास के लिए संघटित योजना

1. पृष्ठभूमि :

विद्युत कर्घा उद्योग हथकरघा क्षेत्र से पुरखों से प्राप्त परंपरागत तकनीकी ज्ञान के साथ विकसित हुआ है, तथा इसे कई क्लस्टरों में उपयोग किया जा रहा है। 19.44 लाख करघे विक्रेंद्रित विद्युत करघा क्षेत्र में 4.3 लाख इकाइयों में फैले हुए हैं, जिसका औसत प्रति इकाई 4 करघों से कुछ अधिक है। इस तरह, इस क्षेत्र में काफी छोटी इकाइयां हैं, जिसमें 1 से 8 तक करघे होते हैं। विकेंद्रित विद्युत कघा क्षेत्र निरंतर रूप से गारमेंट क्षेत्र को निर्यात हेतु उसी तरह घरेलू बाजार के लिए कपड़े की आवश्यकता को पूर्ण कर रहा है। देश के कुल फैब्रिक उत्पादन में विकेंद्रित क्षेत्र का हिस्सा 62% हैं। कुछ समुहों में विनिर्माण, उत्पादों में विविधता, सौदा तथा विपणन जैसी गतिविधियां पैर जमा रही हैं। जब कि कुछ क्षेत्रों में ये अभी भी अत्यंत अत्यल्प हैं। यद्यपि भारत में विद्युत करघा क्षेत्र का विकास कुल मिलाकर विषम हुआ है, अतः इस क्षेत्र के विकास के लिए सम-समान अवसर प्राप्त होने की आवश्यकता है।

विद्युत कर्घा उद्यमियों को घरेलू उत्पादन एवं विपणन उसी तरह निर्यात बढ़ाने के लिए एक संघटित योजना की आवश्यकता है, जो विद्युत करघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण, प्रदर्शन दौरे, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, समूह विकास गतिविधियां, विद्युत करघा क्षेत्र का आवधिक सर्वेक्षण, कुशलताओं का विकास एवं उन्नयन (एचआरडी) जैसी गतिविधियों का ध्यान रख सके, जो विद्युत करघा बुनकरों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, उसके साथ ही यह उन्हें विकास के पथ पर ले जाएगा। विद्युत करघा क्षेत्र के भागधारकों से विचार-विमर्श एवं ग्यारहवीं योजना हेतु कार्यरत दल की सिफारिशों के पश्चात् सरकार ने विद्युत करघा क्षेत्र के लिए संघटित विकास योजना बनाने पर विचार किया है।

- **उद्देश्य :**

संघटित योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:-

- प्रति वर्ष 12% विकास प्राप्त करने हेतु विद्युत करघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण।

- विद्युत करघा बुनकरों/विद्युत करघा उद्योग संघों तथा अन्य संगठनों को वस्त्र उद्योग तथा नियोजित क्षेत्र एवं जनसामान्य के हितार्थ क्षेत्रीय तथा समूह स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित करके उनके उत्पादों का विपणन करना उसी तरह अद्यतन डिजाइनों उत्पादों तथा उत्पाद विविधिकरण के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने में सहायता करना।
- विद्युत करघा उद्यमियों द्वारा सीधे विपणन हेतु बिचौलियों को हटाने के लिए स्थायी आउटलेट उपलब्ध करवाकर विपणन के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना।
- विद्युत करघा उद्योग को सशक्त बनाना तथा बाजार एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का स्थायी तथा आत्मविश्वासी ढंग से मुकाबला करने हेतु उनमें क्षमता निर्माण करना।

योजना का विस्तार :

देश में विद्युत करघा क्षेत्र विस्तार से फैला हुआ है तथा प्रत्येक राज्य में छोटे से लेकर अत्यंत बड़े समूह है। अतः विभिन्न समूहों के उत्पाद भी विशिष्ट हैं, किन्तु उनमें विभिन्नता लाना आवश्यक है। अतः गारमेंट क्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु एवं सस्ते फैब्रिक के आयात की चुनौतियों के मद्देनजर भविष्य में ग्यारहवीं योजना के दौरान आक्रमक आधुनिकीकरण एवं विपणन रणनीति अपनानी होगी। देश में 25 प्रमुख समूह हैं और उनके उत्पाद उपभोक्ता उद्योग के विभिन्न बाजारों में लाने की गुंजाइश है। विद्युत करघा बुनकरों को उनके उत्पादों का क्षेत्रीय तथा समूह स्तर विपणन का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी । इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योग संघ तथा अन्य अभिकरणों द्वारा विद्युत करघे पर बने फैब्रिक अथवा विद्युत करघा क्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्र के कोई अन्य उत्पाद के उन्नयन के लिए क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं।

वर्तमान में देश विद्युत करघा क्षेत्र का परिदृश्य काफी विषम है। प्रौद्योगिकी के निचले स्तर के विद्युत करघा बुनकर सीमित ज्ञान आदि के कारण विभिन्न वस्त्र उत्पादों अथवा वैल्यू एडेड फैब्रिक्स का उत्पादन करने वाले अन्य क्षेत्र से परिचित नहीं है। ऐसी

कमियों से उबरने के मद्देनजर बुनकरों को उत्पादन के विकसित क्षेत्र से परिचित कराना आवश्यक है।

विद्युत करघा समूह विकास गतिविधियां एक तरह कम मूल्य के उत्पाद के निर्माण से विद्युत करघा उद्योग मुक्त करने तथा दूसरी तरफ उत्पाद में नवीनतम एवं विविधता लाने के लिए समग्र रूप से विनिर्दिष्ट समूहों में स्थित विद्युत करघा उद्योग के स्थायी विकास सुकर बनाने के प्रयास है। विद्युत करघा समूहों की आवश्यकता के आधार पर समग्र विकास करने के उद्देश्य से प्रोद्योगिकी संपादन उचित स्तर की प्राप्ति तक आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया है कि वास्तववादी आधारभूत भविष्य विकास योजना बनाई जाए, उसी तरह प्रत्येक दो वर्ष में क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से गैर सरकारी संगठन अथवा अन्य अभिकरणों की सहायता से समय-समय पर विद्युत करघा सर्वेक्षण किए जाए।

विद्युत करघा क्षेत्र के सभी आवश्यक घटकों को सम्मिलित करने के लिए विद्युत करघा क्षेत्र के लिए संघटित योजना में निम्नलिखित समाविष्ट है:-

1. विद्युत करघा क्षेत्र के लिए विपणन विकास कार्यक्रम

विपणन विकास कार्यक्रम की भूमिका विद्युत कर्घा क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्युत कर्घा उत्पादों के उन्नयन एवं विपणन हेतु गतिविधि कार्यान्विन उस पर देख-रेख करने के लिए विभिन्न उपक्रम/प्रक्रियां तैयार करनी होगी । इसके लिए निम्नलिखित गतिविधियां कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा एकल या संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाए।

1.1 प्रदर्शनियों एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन :

विद्युत कर्घा बुनकरों को उनके उत्पादों का क्षेत्रीय तथा समूह स्तर विपणन करने का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न उद्योग संघ एवं अन्य अभिकरण भी विद्युत करघा-विशेष अथवा फाइबर -विशेष अथवा उस स्थान के विद्युत करघा क्षेत्र के किसी अन्य उत्पाद के उन्नयन के लिए क्रेता -विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन कर सकते हैं।

1.2 संगोष्ठी/कार्यशाला:

इन प्रदर्शनियों के आयोजन के दौरान प्रदर्शकों के हितार्थ नई प्रौद्योगिकी एवं उत्पादों का प्रचार-प्रसार एवं विचार-विमर्श करने के लिए तकनीकी संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। संगोष्ठियों/कार्यशालाओं की मुख्य कल्पना नई डिजाइन, प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण तथा उत्पादन की लागत को कम करने के उपायों के बारे में प्रचार-प्रसार करना है एवं इस उद्देश्य के लिए परामर्श अथवा अन्य विशेषज्ञ व्यक्ति की सशुल्क सेवाएं ली जा सकती है।

1.3 प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम:

विपणन की रणनीति में प्रचार एक अविभाज्य अंग है। अतः विपणन विकास कार्यक्रम का यह एक घटक होगा। इस गतिविधि का उद्देश्य भारत को प्रमुख कपड़ा उत्पादक के रूप में उभारना एवं विद्युत करघा बुनकरों/विद्युत करघा उद्योग के हितों में वृद्धि करने हेतु केंद्रित रूप में उन्नयन तथा उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के बारे में विभिन्न विद्युत करघा समूहों में एवं बाहर जागरूकता बढ़ाना एवं विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत करघा उत्पादों की ओर आकर्षित करना है। प्रचार एवं जागरूकता ऐसी गतिविधियों का अनिवार्य अंग है। बाजार उन्नयन के लिए निम्नलिखित गतिविधियां की जा सकती हैं।

1.4 विद्युत करघा/प्रौउनियो पर फिल्म :

जनसामान्य में विद्युत करघा क्षेत्र के बारे में जागरूकता एवं समझ निर्माण करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की विडियो क्लिप्स एवं टेली फिल्म्स बनाई जाएंगी, जो विशिष्ट विद्युत करघा समूह पर आधारित होंगी। ये टेली-फिल्में एवं विडियों क्लिप्स दूरदर्शन आदि के माध्यम से टेलीविजन पर अथवा किसी अन्य माध्यम पर विशेष कार्यक्रम के रूप में दिखाई जा सकती हैं। विद्युत करघा क्षेत्र पर आधारित फिल्मों में नवीनतम प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाला जाएगा और उनका प्रदर्शन ऐसे विद्युत करघा समूहों में

किया जाएगा, जहाँ आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। प्रौउनियो के अंतर्गत भी विद्युत करघा क्षेत्र में सफलता की कहानियों का प्रमाण देने का यह एक साधन है।

1.5 मुद्रित प्रचार :

विद्युत करघों से संबंधित प्रचार पुस्तिकाओं के मुद्रण के माध्यम से किया जा सकता है। विद्युत करघा क्षेत्र के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं पर एवं घरेलू तथा विदेशी बाजार में संभाव्य बाजार अवसर पर भी प्रचार सामग्री प्रकाशित की जा सकती है।

कार्यान्वयन :

- विशिष्ट समूह के विद्युत करघा उद्योग संघ द्वारा उनकी विपणन क्षमता के आधार पर प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी। वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय अधिकारी भी अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रदर्शनी केन्द्र या स्थान चुनने में तथा विपणन कार्यों में सहायता करेंगे।
- स्थानीय विद्युतकरघा उद्योग संघ/अभिकरण योजना के अंतर्गत प्रदर्शनियां आयोजित करने हेतु ब्योरेवार परियोजना वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत करेंगे, जो परियोजना के अनुमोदन हेतु वस्त्र आयुक्त को अपनी रिपोर्ट भेजंगे।
- क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा परियोजना की प्राप्ति से एक माह के भीतर वस्त्र आयुक्त द्वारा परियोजना की संवीक्षा की जाएगी एवं अपना अनुमोदन दिया जाएगा एवं सहायता का 50% निधि का अग्रिम में बटन करेंगे।
- प्रदर्शनी समाप्त होने के पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण ब्यौरेवार वाऊचर/दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे, जो इन्हें सत्यापित करेंगे तथा स्थानीय अभिकरण को राशि के अंतिम बंटन के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

वित्तीय सहायता:

विद्युत करघा बुनकरों, उद्योग अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा आयोजित किये जाने वाली प्रदर्शनियों अथवा क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों के लिए वित्तीय सहायता ऐसे आयोजनों अथवा क्रेता-

विक्रेता सम्मेलनों के स्थान पर निर्भर होगी। प्रदर्शनियों के लिए, आधारभूत सुविधाएं, स्टॉल का किराया तथा साज-सज्जा,बिजली का बिल, प्रचार , बॅक-अप सेवाएं तथा प्रशासनिक व्यय के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता का स्तर वर्ग क वर्ग ख तथा वर्ग ग पर 5 दिनों के लिए क्रमश: रूपये 15 लाख, 10 लाख एवं 5 लाख अथवा वास्तविक, जो भी कम हो, होगा। इस स्तर से अधिक व्यय को लाभार्थी अथवा कार्यान्वयन अभिकरण को वहन करना होगा। 50% वित्तीय सहायता अग्रिम में दी जाएगी एवं शेष राशि संबंधित विहित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत दावों के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण को प्रदान की जाएगी।

मीडिया प्लान:

पैरा 1.3,1.4 एवं 1.5 के अंतर्गत योजना के लिए मीडिया प्लान रखा जाएगा। योजना के अंतर्गत होने वाले खर्च के अतिरिक्त 50.00 लाख वार्षिक मीडिया प्लान हेतु वस्त्र आयुक्त के अधीन रखे जाएंगे।

2. विद्युत करघा कामगारों का अन्य समूहों को प्रदर्शन दौरा:

निम्न प्रौउनियो स्तर के विद्युत करघा बुनकरों को सीमित ज्ञान आदि के कारण वैविध्यपूर्ण वस्त्र उत्पाद अथवा वैल्यू एडेड फैब्रिक्स का उत्पादन करने वाले अन्य क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसी कमियों से उबरने के लिए विद्युत करघा बुनकरों को विकसित उत्पादन करने वाले क्षेत्र का दौरा करना आवश्यक है।

2.1 पात्रता

- विद्युत करघा बुनकर/उद्यमी जिनके पास 12 शटल करघे हैं, जो अपनी इकाई को आधुनिक बनाना चाहते हैं, पात्र होंगे।
- विद्युत कर्घा बुनाई इकाई के परिवार का केवल एक सदस्य योजना के अंतर्गत सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
- दो अलग क्षेत्रों के लिए किसी बुनकर को प्रायोजित नहीं किया जाएगा। प्रति बुनकर एक दौरा अनुमेय होगा।

2.2 कवरेज :-

विद्युत करघा बुनकर प्रौद्योगिकी के निम्नतर स्तर के क्षेत्र से उच्चतर स्तर के क्षेत्र अथवा / किसी अन्य क्षेत्र के दौरे में भाग ले सकता है। ऐसे विद्युत करघा उद्यमियों की संख्या वर्ष में 1000 से अधिक न हो।

2.3 सहायता का स्तर :

- भारत सरकार विद्युत करघा बुनकर का दौरे की जगह तक आने जाने का खर्च वहन करेगी।
- यात्रा सहायता रेल्वे द्वारा द्वितीय श्रेणी शयनयान से यात्रा में आने वाले व्यय एवं प्रति लाभार्थी अतिरिक्त रूपये 2000/- के आनुषंगिक व्यय तक सीमित होगी।

2.4 कार्यान्वयन अभिकरण :

- समूह के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय।
- पेडिक्सिल का क्षेत्रीय कार्यालय तथा/अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि जैसे कि पीसीडीसी संयोजक आदि।
- वस्त्र आयुक्त द्वारा यथाअनुमोदित समूह विकास अभिकरण ।

2.5 दौरे/प्रदर्शन दौरे का अनुमोदन:

प्रदर्शन दौरे के सभी प्रस्तावों पर वस्त्र आयुक्त के प्रभारी अधिकारी का पूर्वानुमोदन आवश्यक है, जिसमें प्रतिभागियों की संख्या, जहां का दौरा किया जाना है, वह क्षेत्र, उस क्षेत्र की प्रौद्योगिकी, अनुमानित व्यय एवं भारत सरकार का हिस्सा इन मदों का उल्लेख होगा ।

2.6 सहायता का बंटन:

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाअनुमोदित कुल व्यय के 50% का भुगतान अग्रिम में किया जाएगा तथा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शन दौरा सफलतापूर्वक संपन्न होने के पश्चात् 50% का भुगतान किया जाएगा।

2.7 अन्य शर्ते तथा निबंधन :

- एक दल में शामिल विद्युत करघा बुनकरों तथा उद्यमियों की संख्या 20 से कम न हो।
- विद्युत करघा उद्यमी कम से कम 5 वर्ष तक उस क्षेत्र में कार्यरत रहना आवश्यक है तथा वे नये करघे संस्थापित करने के इच्छुक हो तथा दूसरों के लिए निवेश में उनकी विश्वसनीयता सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि तक सिद्ध होना आवश्यक है।

3. विद्युत करघा क्षेत्र का सर्वेक्षण :

नैशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च (एनसीईएआर) द्वारा 1995-96 के दौरान हथकरघा एवं विद्युत करघा क्षेत्र की संयुक्त गणना की गई थी। वर्तमान में पूरे देश भर में स्थापित विद्युत करघा सेवा केन्द्र विद्युत करघा सर्वेक्षण कर रहे हैं एवं इससे संबंधित मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। चूंकि विद्युत करघा क्षेत्र के आंकड़े प्रमाणिक नहीं हैं, उद्योग की विकास की योजना बनाना अत्यंत कठिन बन जाता है। अत: यह महसूस किया गया कि प्रत्येक दो वर्ष के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों के बेजलाईन विद्युत करघा सर्वेक्षण करना आवश्यक है।

4. विद्युत करघा समूह विकास :

विद्युत करघा समूह विकास गतिविधियां एक तरफ (अंतिम उत्पाद न्यून) मूल्य के निर्माण से विद्युत करघा उद्योग मुक्त करने तथा दूसरी तरफ उत्पाद में नवीनतम एवं विविधता लाने के लिए समग्र रूप से विनिर्दिष्ट समूहों में स्थित विद्युत करघा उद्योग के स्थायी विकास सुकर बनाने के प्रयास है।

4.1 समूह की परिभाषा

विद्युत करघा क्षेत्र के संदेर्भ में विद्युत करघा समूह को इस तरह परिभाशित किया जा सकता है कि ऐसी जगह जहां 50 कि.मी. की परीधि में 200 से अधिक विद्युत करघा इकाइयां हो अथवा 2000 से अधिक विद्युत कर्घा स्थापित हो तथा फ्रैब्रिक्स का उत्पादन होता हो ।

4.2 समूह का चयन

समूह का चयन उनके आकार तथा उत्पादों देशी अथवा विदेशी बाजारों के लिए विशाल मात्रा में उपलब्ध कराने की निर्माण क्षमता उसी तरह तीव्र प्रतिस्पर्धा के वातावरण में बने रहने के लिए लचीलेपन के आधार पर होगा। योजना देश भर में फैले हुए विनिर्दिष्ट विद्युत करघा समूहों में कार्यान्वित होगी तथा प्रथम चरण में 15 समूहों को लिया जाएगा, जिनका निर्णय वस्त्र आयुक्त, मुंबई द्वारा किया जाएगा।

4.3 **पात्र घटक/गतिविधियां :**

समूह विकास कार्यक्रम में समूह की आवश्यकताओं पर समान्वित एवं व्यापक दृष्टि से विचार किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सहायता के लिए निम्नलिखित घटक पात्र होंगे।

1. रूपये 200 लाख प्रति समूह की दर से प्रत्येक विनिर्दिष्ट समूह का नैदानिक अध्ययन आयोजित करने के लिए व्यावसायिक अभिकरण को कार्य सौपनें के लिए सहायता।
2. प्रतिष्ठित संस्थान में नामित समूह विकास अधिकारी (सविअ) को रूपये 40000/- प्रति सविअ की दर से आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहायता।
3. कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, प्रदेर्शन आदि के आयोजनों के लिए प्रति समूह प्रति वर्ष ऐसे तीन कार्यक्रमों के लिए 75,000/- की दर पर सहायता।
4. प्रचार (ब्राउशर्स, कैटलॉग्स के मुद्रण, नमूनों के प्रलेखन आदि) के लिए प्रति अंक प्रति तिमाही की 25,000/- अथवा वास्तविक खर्च जो भी कम हो, की सहायता।
5. नामित सविअ को, समूह में आवश्यकता के अनुसार अपनी गतिविधियां आयोजित करने के लिए 5000/- प्रति सविअ/माह की दर से एक वर्ष के लिए मानदेय।

4.4 **निधियों का बंटन:**

भारत सरकार द्वारा स्वीकार्य सहायता का किस्तों में बटन किया जाएगा। कार्यान्वयन अभिकरण को परियोजना के अनुमोदन के पश्चात् सहायता का 50% दिया जाएगा।

वस्त्र आयुक्त द्वारा शेष 50% का योजना के कार्यान्वयन की वास्तविक जांच के पश्चात् बंटन किया जाएगा:-

1. किसी योजना के अंतर्गत वास्तविक प्रगति का प्रस्तुतीकरण
2. कार्यान्वयन अभिकरण हिस्सा लेगी, यदि लागू हो।
3. स्थानीय कार्यान्वयन /प्रशासकीय निकाय की संस्तुति।
4. जीएफआर के अंतर्गत उपयोग प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण
5. केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता के अतिरिक्त इन योजनाओं में राज्य सरकार भी हिस्सा ले सकती है।

4.5 कार्यान्वयन अभिकरण :

निम्नलिखित अभिकरण उनकी परियोजना के अनुसार एक अथवा अधिक उप योजनाओं (घटकों) को कार्यान्वित करने के लिए पात्र होंगी, जब तक उप योजनाओं के अंतर्गत अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो:-

1. राज्य सरकार अभिकरण
2. स्थानीय उद्योग संघ/विद्युत करघा/ गारमेंट सहकारी सोसायटी
3. वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय
4. विद्युत करघा सेवा केन्द्र (आईटीएससी)

स्थानीय शासी निकाय/क्षेत्रीय कार्यालयों की सिफारिशों के आधार पर वस्त्र आयुक्त द्वारा परियोजना की संवीक्षा की जाएगी।

5 कुशलताओं का विकास एवं उन्नयन (एचआरडी)

भारत सरकार ने विकेंद्रित विद्युत करघा क्षेत्र के विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु 1977 से विभिन्न विद्युत करघा समूहों में 44 विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं। इन विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्थापित किए हैं। इन विद्युत करघा सेवा केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र बुनकरों की दक्षता कुशलता एवं उत्पादकता में सुधार हेतु प्रशिक्षण, परीक्षण सुविधाएं, डिजाइन विकास एवं स्थानीय विद्युत करघा उद्योग को परामर्श देना है। वैश्विक मुक्त व्यापार प्रणाली के आगमन से एवं विभिन्न वस्त्र क्षेत्रों में मानवशक्ति की प्रचार आवश्यकता के मद्देनजर वि.क.से.केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली

सेवाएं अपर्याप्त हैं। अतः न केवल इन केन्द्रों की सेवाओं का विस्तार करना आवश्यक है, बल्कि समग्र टेक्सटाइल वैल्यू चेन में अवसर बढ़ाने की आवश्कता की पूर्ति करने के लिए कुछ नयी गतिविधियाँ प्रारंभ करना आवश्यक है।

5.1 घटक

क संघटित वस्त्र सेवा केन्द्र

गुणवत्ता परीक्षण हेतु सुविधाएं निर्माण करने बुनाई क्षेत्र एवं गारमेंट क्षेत्र के लिए कुशल मानवशक्ति, बुनाई के लिए डिजाइन विकास एवं उद्यमशीलता में विकास हेतु सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के आधार पर कुछ नये विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसमें उपकरणों की पूंजी लागत के लिए सहायता केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जबकि प्रचाचन की जिम्मेदारी समूह के वस्त्र क्षेत्र खंडों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय उद्योग संघ की होगी। ये केन्द्र वस्त्र एवं कलोदिंग के सभी खंडों को विभिन्न चरणों में एक छत के नीचे विभिन्न सेवाएं प्रदान करेगा। केन्द्र सरकार बुनकरों के प्रशिक्षण फ्रैब्रिक्स के परीक्षण, गारमेंट निर्माण अथवा आवश्यकतानुरूप कोई भी वस्त्र से संबंधित सेवाएं प्रदान करने की सुविधाओं से सुसज्जित केन्द्र के निर्माण के लिए रूपये 100 लाख प्रदान करेगा, प्रदान की गई उपरोक्त राशि वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संयुक्त रुप में खोले गए खाते में जमा की जाएगी एवं इसका केवल मशीनें तथा उपकरणों के रूप में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। नये केन्द्र खोलने हेतु आवश्यक भूमि तथा भवन उद्योग संघ द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगी । स्थानीय संघटित केन्द्र को प्रारंभिक वर्ष की पहली तिमाही के लिए कार्यकारी पूंजी के लिए प्रावधान के सिवाय कोई आवर्ती अनुदान उपलब्ध नही कराया जाएगा। बुनकरों, जॉबरों एवं उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिए सभी पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण के इन्पुट वस्त्र आयुक्त के अनुमोदनानुसार मानकीकृत किए जाएंगे। नये संघटित वस्त्र सेवा केन्द्रों के लिए समुहों का चयन वस्त्र आयुक्त के

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ऐसे परियोजना प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण से पूर्व किया जाएगा।

ख. कैड सुविधा

डिजाइन विकास के लिए कैड केन्द्र स्थापित करने हेतु स्थानीय निकायों को एक बारी सहायता के लिए 25 लाख तक वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्थानीय उद्योग द्वारा इसका लाभ लिया जाएगा। यह योजना वर्तमान में मौजूद विद्युत करघा सेवा केन्द्रों के लिए भी लागू है।

इसमें डिजाइन, डिजाइन की गुणवत्ता में सुधार एवं स्थानीय विद्युत करघा बुनकरों/उद्यमियों को प्रशिक्षण देने हेतु संगणक की सहायता से डिजाइन सिस्टम स्थापित करने की सहायता शामिल है। योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरण को विशेष रूप से देश में तथा विदेश में बदलने हुए बाजार परिदृश्य का मुकाबला करने के लिए उत्पादों में विविधता लाना आवश्यक होगा।

- यदि कैड केन्द्र संघटित वस्त्र सेवा केन्द्र में स्थापित नहीं होता तो कैड केन्द्र के लिए भवन की व्यवस्था स्थानीय निकाय द्वारा की जाएगी ।
- प्रचारल का प्रबंध स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा तथा यह नियमित रूप से शासी निकाय की बैठकें आयोजित करेगा।
- शासी निकाय में सरकार की ओर से नामित व्यक्ति अथवा वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय का प्रतिनिधि शामिल होगा।
- एक पृथक संयुक्त खाता खोलना होगा तथा उक्त की वार्षिक लेखा परीक्षा होगी।

ग. गारमेंट/ऐपेरल बनाने की सुविधाएं

विकास में गुणवत्ता हेतु सुविधाएं निर्माण करना, गारमेंट क्षेत्र की लिए कुशल मानव शक्ति, गारमेंट डिजाइनिंग एवं पैटर्न बनाने के लिए डिजाइन विकास , जिसमें अद्यमी विकास भी शामिल है।

पीपी निकाय, एवं स्थानीय वस्त्र उद्योग संघ को सामान्य सेवाओं के लिए संस्थागत सुविधाएं निर्माण करने हेतु मूल राशि के रूप में 25 लाख तक वित्तीय सहायता सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी नमूनों जिन्हे उपकरणों की पूंजी लागत के लिए सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, जबकि प्रचालन की जिम्मेदारी समूह के वस्त्र क्षेत्र के सभी खण्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय उद्योग संघ की होगी। प्रदान की गई उपरोक्त राशि बैंक खाता जो वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संयुक्त खाता हो, में जमा किया जाएगा एवं इसका केवल मशीनें तथा उपकरणों के रूप में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा। नये केन्द्र खोलने हेतु आवश्यक भूमि तथा भवन उद्योग संघ द्वारा उपलब्ध कराना होगा। स्थानीय संघटित केन्द्र को प्रारंभिक वर्ष की पहली तिमाही के लिए कार्यकारी पूंजी के लिए प्रावधान के सिवाय कोई आवर्ती अनुदान उपलब्ध नही कराया जाएगा। नई सुविधाओं के लिए विनिर्दिष्ट किये जाने वाले समूहों का चयन वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

घ. कुशलताओं का विकास एवं उन्नयन (प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ की सहायता लेना)

प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण सुविधा देने एवं उनकी संख्या बढ़ाने के उद्देश्य प्रशिक्षण हेतु मानवशक्ति अत्यंत अपर्याप्त प्रतीत होगी है। सभी विद्युत कर्घा सेवा केन्द्र चालने वाले सरकारी वस्त्र अनुसंधान संघों को बाहरी प्रशिक्षकों को सशुल्क आमंत्रित करना होगा। यदि केन्द्र में कोई मूल स्त्रोत व्यक्ति नहीं है, अतिरिक्त वित्तीय देयताओं जो प्रति विद्युत करघा सेवा केन्द्र प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक नहीं होगी की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि आमंत्रित योग्य एवं अनुभवी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ अथवा डिजाइन विशेषज्ञ या गारमेंट प्रौद्योगिक विशेषज्ञ के मानदेय पर खर्च की जा सकती है।

- ऐसी मांग के सभी प्रस्ताव अनिवार्य रूप से वस्त्र आयुक्त द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है। गतिविधियां को बढाने के लिए रूप रेखा स्थानीय उद्योग के साथ क्षेत्रीय वस्त्र आयुक्त कार्यालय द्वारा पहले ही बनाई जाए।

- यद्यपि प्रशिक्षण स्वपोषी होगा। किन्तु कुछ मामलों में इस अतिरिक्त आवश्यकता को इस सहायता से प्रतिपूर्ति की जा सकती है।
- नियमानुसार जहां भी लागू हो जीएफआर के अंतर्गत उपयोग प्रमाण पत्र ।

1. परियोजना अनुमोदन समिति:

विद्युत करघा क्षेत्र विकास के लिए संघटित योजना अंतर्गत सभी परियोजनाएं परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा मंजूर की जाएंगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :-

1.	वस्त्र आयुक्त	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव अथवा निदेशक वस्त्र मंत्रालय (विद्युत करघा)	सदस्य
3.	स्थानीय उद्योग के सभी प्रतिनिधि	सदस्य
4.	अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त	सदस्य सचिव

2. परियोजनाओं पर देख-रेख :

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय संघटित योजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं का पर्यवेक्षण तथा कार्यान्वयन करेगा एवं विद्युत करघा विकास प्रकोष्ठ को मासिक रिपोर्ट भेजेगी। वस्त्र आयुक्त योजना की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करेंगे तथा वस्त्र मंत्रालय को त्रैमासिक विवरणी भेजेंगे।

000